जम्मू और कश्मीर विधानसभा - दिल्ली के समान या विपरीत

लेखक - कौनेन शेरिफ एम (संपादक)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-II (शासन व्यवस्था, राजव्यवस्था) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

7 अगस्त, 2019

"जम्मू-कश्मीर दिल्ली और पुडुचेरी के बाद एक निर्वाचित विधानसभा होने वाला तीसरा केंद्र शासित प्रदेश होगा। संसद द्वारा पारित पुनर्गठन विधेयक में वर्णित इसकी सरकार की शक्तियां दिल्ली की तुलना में कैसे अलग हैं?"

अभी हाल ही में संसद द्वारा जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019 पारित किया गया है, जो जम्मू-कश्मीर के लिए एक केंद्र शासित प्रदेश के गठन का मार्ग प्रशस्त करता है। यह दो अन्य केंद्रशासित प्रदेशों के साथ शामिल होगा अर्थात् राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुडुचेरी, जहाँ संविधान के अनुच्छेद-239ए के माध्यम से, कुछ विषयों पर कानून बनाने के लिए एक विधान सभा है और ऐसे कानून से संबंधित विषयों पर उपराज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए एक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद् है। हालांकि, विधानसभा के दायरे से बाहर के विषयों के लिए, उपराज्यपाल को मुख्यमंत्री की सहायता और सलाह की आवश्यकता नहीं होती है।

इस आलेख में ऐसे कुछ प्रमुख विषयों के बारे में चर्चा की जा रही है जहाँ जम्मू और कश्मीर के लिए प्रस्तावित मॉडल दिल्ली के समान है और जहाँ दोनों के बीच भिन्नताएं भी हैं।

विधायी शक्तियों की सीमा

विधेयक की धारा-13 में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद-239ए में जो प्रावधान केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी के लिए लागू हैं, वे केंद्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर पर भी लागू होंगे। केंद्रशासित प्रदेश की विधानसभा के पास राज्य सूची और समवर्ती सूची के तहत ऐसे विषयों को छोड़कर कानून बनाने की शक्ति है, जो विशेष रूप से केंद्र सरकार के दायरे में हैं।

सातवीं अनुसूची में राज्य सूची में 61 विषय हैं - कानून और व्यवस्था, स्वास्थ्य, भूमि, स्थानीय सरकार आदि और समवर्ती सूची में 52; जैसे-वन, वन्यजीव संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार, आदि।

जम्मू और कश्मीर विधेयक में धारा-32 के अनुसार, विधानसभा 'सार्वजनिक व्यवस्था' और 'पुलिस' से संबंधित राज्य विषयों को छोड़कर, राज्य और समवर्ती सूची में किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। इसलिए, इन दोनों विषयों पर सभी कानून सीधे केंद्र के अधीन होंगे और यही हाल दिल्ली में भी है।

दिल्ली में, अनुच्छेद-239AA के सम्मिलन से और संसद द्वारा पारित 69वें संविधान संशोधन के आधार पर, विधानसभा राज्य सूची की प्रविष्टि 18 के मामलों पर कानून नहीं बना सकती है, जो कि भूमि है। लेकिन जम्मू-कश्मीर में विधानसभा ऐसा कर सकती है।

भ्रष्टाचार-निरोधक ब्यूरो (ACB)

भ्रष्टाचार-निरोधक ब्यूरो का नियंत्रण, जिसके पास भ्रष्टाचार के मामलों पर एफआईआर दर्ज करने और गिरफ्तारी करने की शक्ति है, दिल्ली की AAP सरकार और केंद्र के बीच एक विवादास्पद मुद्दा था। इस साल फरवरी में, दो-न्यायाधीश वाली सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि भ्रष्टाचार-निरोधक ब्यूरो उपराज्यपाल के नियंत्रण में होगा और दिल्ली सरकार के पास कोई पुलिस अधिकार नहीं है।

जम्मू और कश्मीर के प्रस्तावित केंद्रशासित प्रदेश के लिए, बिल बहुत स्पष्ट है। धारा-53 (2) (iii) में कहा गया है कि उपराज्यपाल, 'अखिल भारतीय सेवाओं और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो' से संबंधित मामलों में अपने विवेक से कार्य करेंगे। इसलिए, भ्रष्टाचार-निरोधक ब्यूरो से संबंधित सभी नियुक्तियां और अन्य प्रशासनिक मामले सीधे उपराज्यपाल के अधीन होंगे।

LAND	ANTI-CORRUPTION BUREAU	SERVICES
Delhi: Under Centre	Delhi: Under Lieutenant-Governor, as per a Supreme Court ruling	Delhi: Matter referred to 3-judge SC Bench
J&K Bill: Land rights, land tenures, land improvement and transfer of agricultural land under ambit of Legislative Assembly	J&K Bill: Explicitly places ACB under L-G	J&K Bill: Mentions a "competent authority" that can alter the posting of officers with J&K government

दिल्ली में, विवाद की एक और जड़ सेवाएं रही हैं। न्यायमूर्ति ए.के सीकरी और अशोक भूषण की खंडपीठ ने दिल्ली में तैनात अधिकारियों के स्थानांतरण के मुद्दे पर सवाल उठाया था और मामले को तीन न्यायाधीशों वाली पीठ के पास भेज दिया था।

जम्मू और कश्मीर का लिए, बिल का भाग XIII और धारा-88 (4) यह स्पष्ट करती है कि उपराज्यपाल के पास भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की रचना, शक्ति और आवंटन से संबंधित विवेकाधीन अधिकार होंगे।

धारा-92 'अन्य सेवाओं' के प्रावधानों से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि "प्रत्येक व्यक्ति, नियुक्ति दिन से ठीक पहले, जो किसी भी क्षेत्र में जम्मू और कश्मीर के मौजूदा राज्य के मामलों के संबंध में किसी भी पद या कार्यालय के कर्त्तव्यों का निर्वहन करते हुए नव निर्मित संघ राज्य क्षेत्र में से एक के अंतर्गत आता है, तो वह उस नव निर्मित केंद्रशासित प्रदेश में एक ही पद या कार्यालय को जारी रखेगा और उस दिन से, उस सरकार के पद या अन्य उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा, पद या कार्यालय में विधिवत नियुक्त किया गया माना जाएगा। इसलिए, 'सक्षम प्राधिकारी' का उल्लेख किया गया है, जो जम्मू-कश्मीर सरकार के साथ वर्तमान में कार्यरत अधिकारी के पद को बदल सकता है। हालांकि, दिल्ली में, यह स्पष्ट नहीं है कि अधिकारियों का स्थानांतरण उपराज्यपाल के अनन्य क्षेत्र के तहत होगा या नहीं।

अन्य मामले

जम्मू-कश्मीर विधेयक की धारा-55 में कहा गया है कि उपराज्यपाल मंत्रियों को उनके कार्य के आवंटन के लिए मंत्रिपरिषद् की सलाह पर नियम बनाएंगे, ताकि उपराज्यपाल और मंत्रिपरिषद् या एक मंत्री के बीच राय के अंतर के मामले में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया सहित मंत्रियों के साथ कार्य के अधिक सुविधाजनक लेन-देन को सुनिश्चित किया जा सके। यही नियम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (NCT) पर भी लागू होता है।

धारा-36 (3) में कहा गया है कि यदि कोई विधेयक, जो अधिनियमित किया गया है और संचालन में लाया गया है, तो 'संघ राज्य क्षेत्र के समेकित कोष से व्यय' शामिल होगा, यह केंद्रशासित प्रदेश की विधानसभा द्वारा पारित नहीं किया जा सकता, जब तक कि उपराज्यपाल विधेयक पर विचार कर के विधानसभा से सिफारिश नहीं करता। यही नियम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली पर भी लागू होता है।

GS World Committed to Excellence

अनुच्छेद 371 क्या है?

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-II (शासन व्यवस्था, राजव्यवस्था) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

7 अगस्त, 2019

"26 जनवरी, 1950 को संविधान के आरंभ के समय अनुच्छेद- 370 और 371 संविधान का हिस्सा थे; बाद में अनुच्छेद-371A से लेकर अनुच्छेद-371J को शामिल किया गया था।"

हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा को बताया कि सरकार का संविधान के अनुच्छेद-371 को हटाने का कोई इरादा नहीं है, जिसमें पूर्वोत्तर के छह राज्यों सहित 11 राज्यों के लिए 'विशेष प्रावधान' शामिल हैं। उनका यह आश्वासन कांग्रेस नेताओं द्वारा यह आशंका व्यक्त करने के बाद आया कि अनुच्छेद-370 अप्रासंगिक होने के कारण, सरकार अनुच्छेद 371 को निरस्त करने या संशोधित करने के लिए एकतरफा कदम उठा सकती है।

संविधान के भाग XXI में अनुच्छेद-369 से लेकर अनुच्छेद-392 (कुछ को हटा दिया गया है) 'अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान' शीर्षक से प्रकट होता है। अनुच्छेद-370 जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी प्रावधान से संबंधित है; अनुच्छेद-371, 371A, 371B, 371C, 371D, 371E, 371F, 371G, 371H, और 371J किसी अन्य राज्य (या राज्यों) के संबंध में विशेष प्रावधानों को परिभाषित करते हैं।

अनुच्छेद 371I गोवा से संबंधित है, लेकिन इसमें ऐसा कोई प्रावधान शामिल नहीं है, जिसे 'विशेष' माना जा सकता है।

26 जनवरी, 1950 को संविधान के आरंभ के समय अनुच्छेद- 370 और 371 संविधान का हिस्सा थे; बाद में अनुच्छेद-371**A** से लेकर अनुच्छेद-371**J** को शामिल किया गया था।"

अनुच्छेद 371, महाराष्ट्र और गुजरात: राज्यपाल के पास 'विदर्भ, मराठवाड़ा और महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों' एवं गुजरात में सौराष्ट्र और कच्छ के लिए 'अलग विकास बोर्ड' स्थापित करने की 'विशेष जिम्मेदारी' है; "उक्त क्षेत्रों में विकासात्मक व्यय के लिए धन का समान आवंटन सुनिश्चित करना" और तकनीकी शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त सुविधाएं और रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान करने वाली न्यायसंगत व्यवस्था "राज्य सरकार के अधीन" सुनिश्चित करना शामिल है।

अनुच्छेद-371A (13वां संशोधन अधिनियम, 1962), नागालैंड: 1960 में केंद्र और नागा पीपुल्स कन्वेंशन के बीच 16-बिंदु समझौते के बाद यह प्रावधान किया गया था, जिसके कारण 1963 में नागालैंड का निर्माण हुआ। नागा धर्म या सामाजिक प्रथाओं के मामलों में, नागा प्रथागत कानून और प्रक्रिया में, नागरिक और आपराधिक न्याय के प्रशासन में, जिसमें नागा प्रथागत कानून के अनुसार निर्णय शामिल हैं, संसद कानून नहीं बना सकती है, साथ ही भूमि के स्वामित्व और हस्तांतरण राज्य विधानसभा की सहमति के बिना संभव नहीं है।

अनुच्छेद-371B (22वां संशोधन अधिनियम, 1969), असम: राष्ट्रपति, विधानसभा की समिति के गठन और कार्यों के लिए राज्य के जनजातीय क्षेत्रों से चुने गए सदस्यों को शामिल कर सकता है।

अनुच्छेद-371C (27वां संशोधन अधिनियम, 1971), मणिपुर: राष्ट्रपति, विधानसभा में पहाड़ी क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्यों की एक समिति के गठन का प्रावधान कर सकते हैं और अपने समुचित कार्य को सुनिश्चित करने के लिए राज्यपाल को 'विशेष जिम्मेदारी' सौंप सकते हैं।

अनुच्छेद-371D (32वां संशोधन अधिनियम, 1973; आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 द्वारा प्रतिस्थापित), आंध्र प्रदेश और तेलंगाना: राष्ट्रपति, सार्वजनिक रोजगार और राज्य के विभिन्न हिस्सों के लोगों को शिक्षा" में "समान अवसरों और सुविधाओं" को सुनिश्चित कर सकता है। राष्ट्रपति राज्य सरकार को यह निर्देश दे सकता है कि राज्य किसी भी सिविल सेवा में किसी भी वर्ग या वर्गों के पदों या राज्य के विभिन्न हिस्सों के लिए अलग-अलग स्थानीय संवर्गों में राज्य के किसी भी वर्ग या नागरिक पदों की व्यवस्था करे।

अनुच्छेद 371E: संसद के एक कानून द्वारा आंध्र प्रदेश में एक विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए अनुमति देता है। लेकिन यह एक 'विशेष प्रावधान' नहीं है।

अनुच्छेद-371F (36वां संशोधन अधिनियम, 1975), सिक्किम: सिक्किम की विधानसभा के सदस्य सिक्किम के प्रतिनिधि का चुनाव लोकसभा के लिए करेंगे। सिक्किम की आबादी के विभिन्न वर्गों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए, संसद विधानसभा में सीटों की संख्या प्रदान कर सकती है, जो केवल उन वर्गों के उम्मीदवारों द्वारा भरी जा सकती है।

अनुच्छेद 371G (53 वाँ संशोधन अधिनियम, 1986), मिजोरम: संसद मिजोस, मिजो प्रथागत कानून और प्रक्रिया के धार्मिक या सामाजिक प्रथाओं पर, नागरिक और आपराधिक न्याय का प्रशासन, जिसमें मिजो प्रथागत कानून और स्वामित्व एवं भूमि के हस्तांतरण पर कानून नहीं बना सकती है, जब तक विधानसभा फैसला नहीं करती।

अनुच्छेद-371H (55 वां संशोधन अधिनियम, 1986), अरुणाचल प्रदेश: राज्यपाल के पास कानून और व्यवस्था के संबंध में एक विशेष जिम्मेदारी है और 'वह मंत्रिपरिषद् से परामर्श करने के बाद कार्रवाई के लिए अपने व्यक्तिगत निर्णय का उपयोग करेंगे।'

अनुच्छेद-371J (98 वां संशोधन अधिनियम, 2012), कर्नाटक: इसमें हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र के लिए एक अलग विकास बोर्ड का प्रावधान है। सरकारी नौकरियों और शिक्षा में इस क्षेत्र के लोगों के लिए 'उक्त क्षेत्र पर विकासात्मक व्यय के लिए धन का समान आवंटन' तथा 'समान अवसर और सुविधाएं' होनी चाहिए। हैदराबाद-कर्नाटक में शैक्षणिक संस्थानों और राज्य सरकार की नौकरियों में सीटों का अनुपात उस क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए आरक्षित किया जा सकता है।

GS World टीम...

जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019

चर्चा में क्यों?

- जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019 को 5 अगस्त, 2019 को गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा राज्यसभा में पेश किया गया था।
- विधेयक में जम्मू और कश्मीर राज्य को जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश तथा लद्दाख को केंद्रशासित प्रदेश में पुनर्गठित करने का प्रावधान है।
- इस बिल के तहत जहाँ राज्य से अनुच्छेद-370 की समाप्ति होगी, वहीं जम्मू-कश्मीर को दो केंद्रशासित प्रदेशों में विखंडित किया जायेगा।

किये गये प्रावधान

- विधेयक जम्मू और कश्मीर राज्य को पुनर्गठित करता है: (i) जम्मू और कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश एक विधायिका के साथ और (ii) बिना विधायिका के केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख।
- केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख में कारगिल और लेह जिले शामिल होंगे तथा जम्मू और कश्मीर के केंद्रशासित प्रदेश में जम्मू और कश्मीर राज्य के शेष क्षेत्र शामिल होंगे।
- **लेफ्टिनेंट गवर्नर:** जम्मू और कश्मीर के केंद्रशासित प्रदेश को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से प्रशासित किया जाएगा, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का रोल निभायेगा।
- केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल के माध्यम से किया जाएगा।
- **जम्मू और कश्मीर की विधान सभा:** विधेयक में केंद्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के लिए एक विधान सभा का प्रावधान है। विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 107 होगी। इनमें से 24 सीटें जम्मू और कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में पाकिस्तान

के कब्जे में रहने के कारण खाली रहेंगी।

- इसके अलावा, केंद्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में उनकी आबादी के अनुपात में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विधानसभा में सीटें आरक्षित होंगी।
- इसके अलावा, उपराज्यपाल महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के लिए विधानसभा में दो सदस्यों को नामित कर सकते हैं, यदि उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।
- विधानसभा का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा और उपराज्यपाल को छह महीने में कम से कम एक बार विधानसभा को बुलाना होगा।
- **मंत्रिपरिषद्:** केंद्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के दस प्रतिशत से अधिक सदस्यों की एक परिषद् नहीं होगी।
- काउंसिल सहयोगी और उपराज्यपाल को उन मामलों पर सलाह देगी जो कानून बनाने के लिए विधानसभा के पास हैं। मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल को परिषद के सभी निर्णयों की जानकारी देंगे।
- **उच्च न्यायालय:** जम्मू और कश्मीर का उच्च न्यायालय केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, तथा जम्मू और कश्मीर के लिए एक ही होगा।
- इसके अलावा, केंद्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की सरकार को कानूनी सलाह प्रदान करने के लिए एक एडवोकेट जनरल होगा।
- **विधान परिषद्:** जम्मू और कश्मीर राज्य की विधान परिषद् को समाप्त कर दिया जाएगा। विघटन होने पर, परिषद् में लंबित सभी विधेयकों में कमी आएगी।
- **सलाहकारी समितियां:** केंद्र सरकार विभिन्न उद्देश्यों के लिए सलाहकारी समितियों की नियुक्ति करेगी, जिनमें शामिल हैं: (i) दो केंद्रशासित प्रदेशों के बीच जम्मू और कश्मीर राज्य के निगमों की संपत्ति और देनदारियों का वितरण, (ii) उत्पादन और आपूर्ति से संबंधित मुद्दे बिजली और पानी तथा (iii) जम्मू और कश्मीर राज्य वित्तीय निगम से संबंधित मुद्दे।
- इन समितियों को छह महीने के भीतर जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल को अपनी रिपोर्ट देनी होगी, जिन्हें 30 दिनों के भीतर इन सिफारिशों पर कार्रवाई करनी चाहिए।
- **कानूनों की सीमा:** अनुसूची में 106 केंद्रीय कानूनों को सूचीबद्ध किया गया है, जो केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित तारीख को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्रशासित प्रदेशों के लिए लागू किए जाएंगे।
- इनमें आधार अधिनियम, 2016, भारतीय दंड संहिता, 1860 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 शामिल हैं। इसके अलावा, यह जम्मू और कश्मीर के 153 राज्यों के कानूनों को खत्म करता है।
- इसके अलावा, 166 राज्य कानून लागू रहेंगे और सात कानून संशोधनों के साथ लागू होंगे। इन संशोधनों में भूमि के पट्टे पर उन लोगों के लिए प्रतिबंधों को खत्म करना शामिल है, जो जम्मू और कश्मीर के स्थायी निवासी नहीं हैं।

Committed

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. हाल ही में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019 पारित किया गया है। इस सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए-

1. इस विधेयक के अनुसार, जम्मू-कश्मीर विधानसभा सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस संबंधित विषय छोड़कर राज्य एवं समवर्ती सूची के विषय पर कानून बना सकती है।
2. दिल्ली विधानसभा राज्य सूची के विषय "भूमि" पर कानून नहीं बना सकती, जबकि जम्मू-कश्मीर विधानसभा इस पर कानून बना सकती है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

2. अनुच्छेद-371 के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. अनुच्छेद-371 में पूर्वोत्तर के छह राज्यों सहित 11 राज्यों के लिए 'विशेष प्रावधान' शामिल हैं।
2. संविधान का भाग XXI 'अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध' शीर्षक से प्रकट होता है, जिसमें अनुच्छेद-369 से लेकर अनुच्छेद-392 तक का उल्लेख है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

Expected Questions (Prelims Exams)

1. Recently Jammu and Kashmir Reorganisation Bill, 2019 has been passed. In this context, consider the following statements-

1. According to this bill, the Jammu and Kashmir Legislative assembly can make laws on the subjects of state and concurrent list, except the subject of the Public System and Police.
2. Delhi Legislative Assembly cannot make law on the subject of 'land' of the State List, where as Jammu and Kashmir Legislative Assembly can make law on it.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1
(b) Only 2
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

1. Consider the following statements reference the Article 371-

1. In Article 371 'special provision' has been provided for 11 states including 6 states of North East.
2. Article-369 to Article 392 has been mentioned, under title " Temporary, Transitional and Special Provisions" in the part XXI of the constitution.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1
(b) Only 2
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न:1 जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019 पारित होने के पश्चात् जम्मू और कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी के बाद निर्वाचित विधानसभा वाला तीसरा केन्द्रशासित प्रदेश होगा। संसद द्वारा पारित इस पुनर्गठन विधेयक में वर्णित जम्मू-कश्मीर सरकार की शक्तियाँ, दिल्ली सरकार की तुलना में किस प्रकार भिन्न हैं? चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

प्रश्न:2 भारतीय संविधान के भाग-21 के तहत अनुच्छेद-371 में शामिल विभिन्न राज्य एवं उनसे संबंधित विशेष प्रावधानों की चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

Q. 1 **After the passage of the Jammu and Kashmir Reorganization Bill, 2019, Jammu and Kashmir will be the third union territory with an elected Legislative assembly followed by Delhi and Puduch-erry. How is the powers of Jammu and Kashmir Government different from the Delhi Government as mentioned in this Reorganization Bill passed by the Parliament? Discuss.** (250 Words)

Q. 2 **Discuss various states and their related provisions included in Article-371 under Part-21 of the Indian constitution.** (250 Words)

नोट : 6 अगस्त को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(d) होगा।

Committed To Excellence